

संचिका संख्या:-4प/प्र०व्यय-150-01/2025/72590/पं०रा०

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

नजर हुसैन,
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 07/1/2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य की प्रत्येक ग्राम कचहरी (कुल 8053 ग्राम कचहरियों) को प्रशासनिक व्यय हेतु ₹2000.00 (दो हजार रुपये) मात्र की दर से कुल ₹1,61,06,000.00 (एक करोड़ एकसठ लाख छः हजार रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत।

संविधान के 73वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यों में जनसहभागिता प्राप्त करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों के चरणबद्ध तरीके से शक्तियाँ एवं दायित्व सौंपे जा रहे हैं। ग्राम कचहरियों को न्यायिक कार्य करने पड़ते हैं, जिनसे संबंधित कार्यों के लिए राशि की आवश्यकता होती है। अतः ग्राम कचहरियों के न्यायिक कार्यों को सुचारु रूप से सम्पादित करने हेतु राज्य सरकार ने राज्य की प्रत्येक ग्राम कचहरी को प्रशासनिक व्यय हेतु ₹4000.00 (चार हजार रुपये) मात्र की राशि उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया है।

2. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य की प्रत्येक ग्राम कचहरी (कुल 8053 ग्राम कचहरियों) को प्रशासनिक व्यय के लिए ₹2000.00 (दो हजार रुपये) मात्र की राशि की दर से जिलावार संलग्न विवरणी अनुलग्नक-1 के अनुसार कुल ₹1,61,06,000.00 (एक करोड़ एकसठ लाख छः हजार रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस राशि का उपयोग कागज, रजिस्टर, आलमीरा, दरी एवं कार्यालय व्यय में किया जायेगा।


3. संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। जिला कोषागार से उक्त राशि को सीधे ग्राम कचहरी के खाते में CFMS के माध्यम से राशि अंतरित करेंगे। राशि का निकासी ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। जिला पंचायत राज पदाधिकारी ग्राम कचहरियों को आवंटित अनुदान राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समेकित रूप से पंचायती राज विभाग को ससमय विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

4. राशि का उपयोग उचित रूप से हो इसका उत्तरदायित्व जिला पंचायत राज पदाधिकारी का होगा।

5. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय-उपशीर्ष-

वित्तीय वर्ष 2025-26 मेंराज्य की ग्राम कचहरियों को प्रशासनिक व्यय की स्वीकृत राशि की विवरणी :-

क्र०सं०	जिला	ग्राम कचहरियों की संख्या	कुल स्वीकृत राशि (रूपये में) (₹2000.00 की दर से)	
1	अररिया	211	₹ 4,22,000.00	(चार लाख बाईस हजार रूपये) मात्र
2	अरवल	64	₹ 1,28,000.00	(एक लाख अठाईस हजार रूपये) मात्र
3	औरंगाबाद	202	₹ 4,04,000.00	(चार लाख चार हजार रूपये) मात्र
4	बांका	182	₹ 3,64,000.00	(तीन लाख चौसठ हजार रूपये) मात्र
5	बेगुसराय	217	₹ 4,34,000.00	(चार लाख चौतीस हजार रूपये) मात्र
6	भागलपुर	238	₹ 4,76,000.00	(चार लाख छिहत्तर हजार रूपये) मात्र
7	भोजपुर	226	₹ 4,52,000.00	(चार लाख बावन हजार रूपये) मात्र
8	बक्सर	136	₹ 2,72,000.00	(दो लाख बहत्तर हजार रूपये) मात्र
9	दरभंगा	308	₹ 6,16,000.00	(छः लाख सोलह हजार रूपये) मात्र
10	गया	320	₹ 6,40,000.00	(छः लाख चालीस हजार रूपये) मात्र
11	गोपालगंज	230	₹ 4,60,000.00	(चार लाख साठ हजार रूपये) मात्र
12	जमुई	152	₹ 3,04,000.00	(तीन लाख चार हजार रूपये) मात्र
13	जहानाबाद	88	₹ 1,76,000.00	(एक लाख छिहत्तर हजार रूपये) मात्र
14	कैमूर	146	₹ 2,92,000.00	(दो लाख बानवे हजार रूपये) मात्र
15	कटिहार	231	₹ 4,62,000.00	(चार लाख बासठ हजार रूपये) मात्र
16	खगड़िया	113	₹ 2,26,000.00	(दो लाख छब्बीस हजार रूपये) मात्र
17	किशनगंज	125	₹ 2,50,000.00	(दो लाख बीस हजार रूपये) मात्र
18	लखीसराय	76	₹ 1,52,000.00	(एक लाख बावन हजार रूपये) मात्र
19	मधेपुरा	160	₹ 3,20,000.00	(तीन लाख बीस हजार रूपये) मात्र
20	मधुबनी	386	₹ 7,72,000.00	(सात लाख बहत्तर हजार रूपये) मात्र
21	मुंगेर	96	₹ 1,92,000.00	(एक लाख बानवे हजार रूपये) मात्र
22	मुजफ्फरपुर	373	₹ 7,46,000.00	(सात लाख छियालीस हजार रूपये) मात्र
23	नालंदा	230	₹ 4,60,000.00	(चार लाख साठ हजार रूपये) मात्र
24	नवादा	182	₹ 3,64,000.00	(तीन लाख चौसठ हजार रूपये) मात्र
25	पश्चिम चंपारण	303	₹ 6,06,000.00	(छः लाख छः हजार रूपये) मात्र
26	पटना	309	₹ 6,18,000.00	(छः लाख अठारह हजार रूपये) मात्र
27	पूर्वी चंपारण	396	₹ 7,92,000.00	(सात लाख बानवे हजार रूपये) मात्र
28	पूर्णिया	230	₹ 4,60,000.00	(चार लाख साठ हजार रूपये) मात्र
29	रोहतास	229	₹ 4,58,000.00	(चार लाख अठावन हजार रूपये) मात्र
30	सहरसा	135	₹ 2,70,000.00	(दो लाख सत्तर हजार रूपये) मात्र
31	समस्तीपुर	346	₹ 6,92,000.00	(छः लाख बानवे हजार रूपये) मात्र
32	सारण	318	₹ 6,36,000.00	(छः लाख छत्तीस हजार रूपये) मात्र
33	शेखपुरा	49	₹ 98,000.00	(अठानवे हजार रूपये) मात्र
34	शिवहर	53	₹ 1,06,000.00	(एक लाख छः हजार रूपये) मात्र
35	सीतामढी	258	₹ 5,16,000.00	(पाँच लाख सोलह हजार रूपये) मात्र
36	सिवान	283	₹ 5,66,000.00	(पाँच लाख छियासठ हजार रूपये) मात्र
37	सुपौल	174	₹ 3,48,000.00	(तीन लाख अड़तालीस हजार रूपये) मात्र
38	वैशाली	278	₹ 5,56,000.00	(पाँच लाख छप्पन हजार रूपये) मात्र
	कुल:-	8053	₹ 1,61,06,000.00	(एक करोड़ एकसठ लाख छः हजार रूपये) मात्र



 (निर्जर हुसैन)

 अपर सचिव